रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13072020-220490
CG-DL-E-13072020-220490

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2036] **नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 13, 2020/आषाढ़ 22, 1942**
No. 2036] **NEW DELHI, MONDAY, JULY 13, 2020/ASADHA 22, 1942**

ग्रामीण विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2020

का.आ. 2309 (अ) .—केंद्रीय सरकार, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार का यह समाधान होने पर कि ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, उक्त अधिनियम की अनुसूची 2 में निम्नलिखित और संशोधन करती है:-

2. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की अनुसूची 2 में, पैरा संख्या 27 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात:-

"27. यदि इस स्कीम के अधीन किसी नियोजित व्यक्ति की ऐसे नियोजन के कारण या ऐसे नियोजन के दौरान कोई दुर्घटना होने से उसकी मृत्यु हो जाती है या वह स्थायी रूप से विक्लांग हो जाता/जाती है तो, यथास्थिति, उसे या उसके कानूनी उत्तराधिकारियों को ***प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना*** के अंतर्गत पात्रता या केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार *अनुग्रह अनुदान* का भुगतान कार्याव्यिन अभिकरण द्वारा किया जाएगा।"

[फा.सं. एल-11011/10/2018- आरई-I]

रोहित कुमार,संयुक्त सचिव

टिप्पण: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) की अनुसूची 2 का पहला संशोधन अधिसूचना सं. का. आ. 324 (अ), तारीख 6 मार्च, 2007 द्वारा किया गया था और अंतिम संशोधन संख्यांक. का. आ. 19(अ), तारीख 3 जनवरी, 2014 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th July, 2020

S.O. 2309(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 29 of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (42 of 2005), the Central Government, being satisfied that it is necessary and expedient to do so, hereby makes the following further amendments to Schedule II of the said Act, namely:-

2. In the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005, in SCHEDULE II, in paragraph 27, the following paragraph shall be substituted, namely: -

"27. If a person employed under the Scheme meets with death or becomes permanently disabled by accident arising out of and in the course of employment, he or his legal heirs, as the case may be, shall be paid by the implementing agency an *ex-gratia* as per entitlement under the ***Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana*** or as may be notified by the Central Government. "

[F. No. L-11011/10/2018-RE-I]

ROHIT KUMAR, Jt. Secy.

Note : SCHEDULE II of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (42 of 2005) was first amended vide notification number S.O. 324(E), dated the 6th March, 2007 and lastly amended vide notification number S.O.19(E), dated the 3rd January, 2014.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2020.07.13 21:18:50 +05'30'